

3

54

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,  
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4312-तीन/2013, विरुद्ध आदेश दिनांक 19-07-2013 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 560/अ-19/2001-2002 निगरानी ।

श्रीमती जरीना बेगम पत्नि मुस्ताफ अहमद  
निवासी पुरषोत्तमपुर तहसील व  
जिला पन्ना म0प्र0

..... आवेदिका

विरुद्ध

म0प्र0शासन

..... अनावेदक

.....  
श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक

.....  
**:: आ दे श ::**

( आज दिनांक 18/3/15 को पारित )

यह निगरानी आवेदिका द्वारा भू-राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे केवल संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-07-2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम जनकपुर स्थित भूमि खसरा नम्बर 68 रकबा 0.470 हेक्टर पर वर्ष 1984 के पूर्व से कब्जा होने के कारण आवेदिका ने नायब तहसीलदार पन्ना के न्यायालय में व्यवस्थापन किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर प्रकरण क्रमांक 285/अ-19/86-87 दर्ज किया गया तथा प्रकरण में विधिवत रूप से इशतहार जारी किया व निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति ना आने पर पटवारी प्रतिवेदन लिया गया तथा सरपंच ग्राम पंचायत से अभिमत प्राप्त किया तत्पश्चात् दिनांक 21-04-1987 को उपरोक्त भूमि का व्यवस्थापन आवेदिका के नाम से स्वीकार किया गया जिसे कलेक्टर पन्ना द्वारा बिना किसी पर्याप्त आधार के निगरानी में लेकर दिनांक 27-11-2001 को आदेश पारित करते हुये आवेदिका का पटटा निरस्त कर दिया । कलेक्टर पन्ना द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-11-01 से व्यथित होकर अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के समक्ष आवेदिका द्वारा निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्रकरण क्रमांक




560/अ-19/2001-02 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 19-7-2013 से निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-7-2013 से परिवेदित होकर आवेदिका द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्कों में मुख्य रूप से यह बताया कि आवेदिका को भूमिहीन होने एवं दखलरहित अधिनियम के तहत दिनांक 2-10-1984 के पूर्व से कब्जा होने के कारण व्यवस्थापन विचारण न्यायालय द्वारा विधिवत् प्रक्रिया के तहत इश्तहार जारी कर निर्धारित समय सीमा में कोई आपत्ति न होने एवं कब्जे के संदर्भ में ग्राम पंचायत से प्रमाणीकरण उपरांत एवं साक्षियों द्वारा कब्जे की पुष्टि के आधार पर बंटन भूमि की पात्रता होने से दिनांक 21-04-1987 को व्यवस्थापन आदेश पारित किया गया जिसे स्वप्रेरणा में लगभग 13 वर्ष पश्चात् बिना किसी विधिक त्रुटि के निरस्त करने में विधिक कार्यवाही नहीं की है । इस संबंध में न्यायदृष्टांत वर्ष 1996 आर0एन0 80 पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा मान्य किया गया है कि 10 वर्ष पश्चात् जारी पट्टे को निरस्त किये जाने के पूर्व सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिये इस कारण अपर आयुक्त एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि निगरानी स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 21-4-87 स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया ।

4/ मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेशों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । प्रस्तुत निगरानी में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को मुख्य रूप से इस आधार पर चुनौती दी गई है कि 13 वर्ष उपरांत प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लिये जाने की कार्यवाही कर विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है । प्रस्तुत प्रकरण में अभिलेख से यह स्पष्ट है कि निगरानीकर्ता के पक्ष में जो व्यवस्थापन किया गया है वह दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1984 के प्रावधानों के पूर्णतः विपरीत है । कलेक्टर ने यह माना है कि प्रश्नाधीन भूमि जिस ग्राम जनकपुर में है वह बाह्य नजूल भूमि घोषित है । ग्राम जनकपुर की प्रश्नाधीन भूमि नगरपालिका क्षेत्र की सीमा की भूमि है । नजूल भूमि होने तथा नगरपालिका सीमा में भूमि स्थित होने के कारण उसका व्यवस्थापन दखल रहित अधिनियम के तहत नहीं किया जा

सकता है । उन्होंने यह भी पाया है कि वर्ष 10984-85 में मुस्ताक पिता गुलशेर का कब्जा दर्ज है आवेदिका का कब्जा वर्ष 1985-86 से दर्ज है । इस प्रकार आवेदिका का विशेष उपबंध अधिनियम के तहत नियत दिनांक 2-10-1984 को प्रश्नाधीन भूमि पर कब्जा प्रमाणित नहीं है । आदेश कूट रचना या छल से अथवा कपटपूर्वक प्राप्त किये जाने की संभावना होने से स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग परिसीमा का वर्जन नहीं है , इस आशय का मत न्यायदृष्टांत 1995 आर0एन0 27 में प्रतिपादित किया गया है । दर्शित परिस्थिति में कलेक्टर जिला पन्ना द्वारा तहसीलदार के आदेश को स्वमेव निगरानी में लेकर निरस्त करना अवैधानिक नहीं कहा जा सकता । प्रकरण में अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा अपने आलोच्य आदेश दिनांक 19-7-13 में विधिसम्यक् तथा विधि अनुरूप आदेश पारित किया गया है तथा निगरानीकर्ता ऐसा कोई भी अकाट्य तथ्य अथवा तर्क प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं रहे हैं जिससे उक्त आदेश में हस्तक्षेप आवश्यक हो ।

5/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी बलहीन एवं आधारहीन होने के कारण अस्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त एवं कलेक्टर द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता है ।

  
(मनोज गोयल)

प्रशासकीय सदस्य  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश  
ग्वालियर